

छत्तीसगढ़ शासन  
जल संसाधन विभाग  
मंत्रालय,  
महानदी भवन, नवा दायपुर अटल नगर,  
जिला-दायपुर (छ.ग.)

क्र. 5935 / एफ-7-20/31 / एस-2/2021,  
प्रति,

अटल नगर, दिनांक 06/12/2022

मुख्य अभियंता,  
हसदेव कछार,  
जल संसाधन विभाग,  
बिलासपुर (छ.ग.)

विषय :- बिलासपुर जिले के जल संसाधन कालोनी पेण्ड्रारोड परिसर स्थित कार्यालय भवन एवं आवासी भवन का नवीनीकरण कार्य एवं सीमेंट कांक्रीट सड़क नाली निर्माण तथा नवीन विद्युत वायरिंग कार्य की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति।

संदर्भ :- छ.ग. शासन का पत्र क्र.-2939 / एफ-7-20/31 / एस-2/2021, दिनांक 20.06.2022.

—00—

राज्य शासन एतद् द्वारा बिलासपुर जिले के जल संसाधन कालोनी पेण्ड्रारोड परिसर स्थित कार्यालय भवन एवं आवासी भवन का नवीनीकरण कार्य एवं सीमेंट कांक्रीट सड़क नाली निर्माण तथा नवीन विद्युत वायरिंग कार्य हेतु रु.385.19 लाख (रुपये तीन करोड़ पच्चासी लाख उन्नीस हजार) मात्र की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।

2. योजना अंतर्गत जल संसाधन कालोनी पेण्ड्रारोड परिसर स्थित कार्यालय भवन एवं आवासी भवन का नवीनीकरण कार्य एवं सीमेंट कांक्रीट सड़क नाली निर्माण तथा नवीन विद्युत वायरिंग कार्य प्रस्तावित है।
3. कार्य विभाग नियमावली की कंडिका 2.006 के नीचे दिये गये नोट 3(बी) एवं 3(सी) के अनुसार योजना की तकनीकी स्वीकृति दी जाकर एवं अन्य अभीष्ट औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावे तथा कार्य पूर्ण होने के उपरांत योजना का पूर्णता प्रमाण-पत्र शासन को दिया जावे।
4. छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग-एक के नियम-10 के अनुसार मुख्य अभियंता का यह दायित्व है कि वे कार्य पर नियंत्रण रखें तथा उनके कार्यालय तथा अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा प्रशासकीय वित्तीय नियमों का पालन हो।
5. योजना पर व्यय बजट शीर्ष मांग संख्या-41, अनुसूचित जनजाति उपयोजना, 4702-लघु सिंचाई पर पूंजी परिव्यय, {101} सतही जल, 0102 अनुसूचित जनजाति उपयोजना (3828) लघु सिंचाई योजना #97 निर्माण कार्य, 003 बांध एवं नहर के अंतर्गत विकलनीय होगा।
6. वित्त विभाग द्वारा उनके जावक क्रमांक-1056 / सी.एन.-31-00376 / बजट-2 / वित्त / चार / 2022, दिनांक 11.11.2022 द्वारा सहमति प्रदान की गई है।
7. योजना का कार्य स्वीकृत राशि एवं निर्धारित समयावधि के अंतर्गत ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। लागत वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी।
8. निर्माण कार्य की लागत में मितव्यता को सुनिश्चित किया जावे।
9. संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता निर्माण कार्य की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करें।

छत्तीसगढ़ के दायरपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

३०.१२.२२  
(प्रेमसिंह घोष)

अवर सचिव

प्राप्त छत्तीसगढ़ शासन  
जल संसाधन विभाग

पृ.क्र. 5936 / एफ-7-20/31 / एस-2/2021,  
प्रतिलिपि :-

अटल नगर, दिनांक ०६/१२/२०२२

1. अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
2. निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी (निवास), छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
3. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
5. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
6. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
7. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
8. कलेक्टर, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)।
9. संचालक जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर।
10. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, अटल नगर।
11. उप संचालक, मंत्रालय प्रेस प्रकोष्ठ कक्ष क्र.-एम 4-22 अटल नगर।
12. अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस.यूनिट, कार्यालय प्रमुख अभियंता, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर-अटल नगर।
13. अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन मंडल बिलासपुर, जिला-बिलासपुर।
14. कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग पेण्ड्रा रोड, जिला-बिलासपुर।  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
15. आदेश फोल्डर।

01/12/22  
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

अटल संसाधन विभाग